का अवलोकन किया गया ... 11.10.2021 ...
... वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 ...

ऑन लाईन नं. **RCMS 2021/171**

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर०ए०ए० स०

अपील प्रकरण सं० 38/2021

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र लश्कर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. तहसील (राजस्व) भू–अभिलेख, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प 9 जैड आदेश क्रमांक 897 दिनांक 27.08.2018 तहसीलदार राजस्व भू–अभिलेख श्रीगंगानगर जिसकी रूह से राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा वर्ष 2018 के तहत चक 5 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 में 0.006 हेक्टर भूमि में रास्ता मंजूर किया गया को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :

1.श्री जीतपाल सिंह सैनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :–30.10.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है :–

1. यह कि मातहत अदालत के राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प 9 जैड आदेश क्रमांक 897 दिनांक 27.06.2018 तहसीलदार राजस्व भू–अभिलेख श्रीगंगानगर , खिलाफ कानून वाकेयात व इंसात न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अपीलांट के नाम से चक 6 बी छोटी पटवार हल्का 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 48/37 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 12 की 3.0360 हेक्टर व मुरब्बा नम्बर 43 की 1.682 हेक्टर भूमि कुल 4. 718 हेक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।
3. यह कि सरकार द्वारा राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा वर्ष 2018 केम्प 9 जैड में आयोजित किया गया जिसमें अपीलांट के नाम से दर्ज खाता सख्या 48/37 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 में 0.0060 हेक्टर भूमि में रास्ता स्वीकार किया गया तथा उक्त आदेश क्रमांक 897 दिनांक 27.06.2018 तहसीलदार राजस्व भू–अभिलेख श्रीगंगानगर को अपीलांट निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।
4. यह कि राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 में तहसीलदार द्वारा अपीलांट के नाम की भूमि मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 में 0.0060 हैक्टर भूमि में रास्ता स्वीकार किया गया जबकि तहसीलदार को रास्ता मंजूर करने की अधिकारिता नहीं इसलिए तहसीलदार का आदेश क्रमांक 897 दिनांक 27.06. 2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

5. यह कि रास्ता मंजूर करने की अधिकारिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में उपखण्ड अधिकारी के पास है, इसलिए तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि तहसीलदार द्वारा रास्ता मंजूर करते समय अपीलांट को सुना ही नहीं गया और ना ही तलब किया गया है और नाही रास्ते के बदले कोई प्रतिकर राशि दी गई है, इस प्रकार मातहत न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि अपीलांट मातहत न्यायालय के आदेश से बुरी तरह से प्रभावित है अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 01 से रास्ता हेतू 0.0060 हैक्टर भूमि काटी गई है, इसलिए अपीलांट अपील दायर करने की अनुमति के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. यह कि अपीलांट के कब्जे में मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 12 की 3.0360 हैक्टर भूमि है। अपीलांट द्वारा किला नम्बर 1 की तारबंदी की हुई है तथा फसल काश्त की हुई है। मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है, इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है इसलिए मातहत न्यायालय के आदेश की क्रियान्वित स्थगित रखी जानी आवश्यक है तथा अपीलांट के रकबे में रेस्पोडेन्ट की दखलअन्दाजी रोकी जानी आवश्यक है जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
9. यह कि अपीलांट को माननीय न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नहीं थी चूंकि समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने की गई है अपीलांट को मातहत न्यायालय के आदेश की जानकारी तब हुई जब अपीलांट ने पटवारी से जमाबन्दी की नकल दिनांक........को ली जिसमें मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्ब्र 1 में रास्ता कटा हुआ था जिस पर अपीलांट द्वारा इंतकाल की नकल दिनांक 22.09.2021 को प्राप्त की है परन्तु आदेश क्रमांक की नकल काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली। अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय, जिला अभिलेखागार कार्यालय व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में नकल के लिए आवेदन किया लेकिन प्राप्त नहीं हुई। नकल प्राप्त होने पर तुरन्त पेश कर दी जावेगी और आज बिना किसी देरी के बिना नकल के अपील प्रस्तुत की जा रही है। देरी को कंडोन करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प 9 जैड आदेश क्रमांक 897 दिनांक 27.06.2018 तहसीलदार राजस्व भू– अभिलेख श्रीगंगानगर को निरस्त किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के नाम से चक 6 बी छोटी पटवार हल्का 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 48/37 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 12 की 3.0360 हेक्टर व मुरब्बा नम्बर 43 की 1.682 हेक्टर भूमि कुल 4.718 हेक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 में तहसीलदार द्वारा अपीलांट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	तारीख
23.09.2021	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट	

के नाम की भूमि मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 में 0.0060 हैक्टर भूमि में रास्ता स्वीकार किया गया जबकि तहसीलदार को रास्ता मंजूर करने की अधिकारिता नहीं है। रास्ता मंजूर करने की अधिकारिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में उपखण्ड अधिकारी के पास है। तहसीलदार द्वारा रास्ता मंजूर करते समय अपीलांट को सुना ही नही गया एवं ना ही तलब किया गया है और ना ही रास्ते के बदले कोई राशि दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ. श्रीगंगानगर का आदेश राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प 9 जैड कमांक 897 दिनांक 27.06. 2018 को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प 9 जैड में सभी पक्षकारों को विधिवत् सुनवाई कर आदेश कमांक 897 दिनांक 27.06.2018 पारित किया गया है। राजस्व अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई विशेष शाक्तियों की पालना में उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में यह कथन करना कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर आदेश कमांक 897 दिनांक 27.06.2018 पारित करते समय अपीलांट को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प 9 जैड में विधिवत् सुनवाई न कर एकतरफा आदेश पारित किया गया है। उचित नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर उक्त आदेश राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प 9 जैड के मजमे आम में पारित गया है । राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार में राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकार विशेष अधिकार दिये जाते है जिसके तहत उक्त आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर